न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
67 / अपील / 18	28.06.2018	25.02.2021

नन्दकिशोर पुत्र सोहनलाल जाति नाई निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री महेन्द्र कुमार जैन एड0
रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा मुकदमा संख्या 7 / 2013 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2013 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही नहीं की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम ढाकनी पटवार हल्का सथूर ने विस्थित भूमि खसरा संख्या 809 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार स्वर्गीय धन्नी बेवा भवाना जाति नाई निवासी सथूर है। मृतक धन्नी के कोई पुत्र नहीं था। मृतक धन्नी द्वारा अपीलांट के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 15.12.1987 को हुआ है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार महोदय हिण्डोली के यहां दिनांक 28.06.2013 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तकरण खोलने का निवेदन किया गया था। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में गवाहान के बयान लिये गये थे। वसीयतनामा पंजीकृत दस्तावेजों जिसके बनावटी व फर्जी होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वसीयत के गवाहान द्वारा भी वसीयतनामें को प्रमाणित माना है। वसीयत नामें में धन्नी की चल व अचल संपत्ति के बारे में अंकन है जिसकी ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया हैं। गवाहान के बयान के बाद अपीलांट को यह बताया गया कि जो भी आदेश होगा उसके बारे में बता दिया जावेगा। काफी प्रयास के बाद भी आदेश की जानकारी नहीं दी गई। प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी 30.05.2018 को हुई। उसी दिन नकल हेतु आवेदन करने पर नकलें दिनांक 06.06.2018 को प्राप्त हुई। उक्त अवधि के संबंध में समय मुजरा दिये जाने हेतु मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत अपील के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील को अन्दर अवधि मानते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

रोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार हिण्डोली पारित आदेश विधि अनुकूल है। वसीयतनामा पंजीकृत दस्तावेज परन्तु इसमें राजस्व ूमि का अंकन नहीं होकर वसीयतकर्ता की चल व अचल संपत्ति का अंकन है। अतः अपील खारिज कर तहसीलदार हिण्डोली का आदेश दिनांक 21.01.2014 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि अपीलांट के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत मृतक धन्नी द्वारा निष्पादित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में मृतका धन्नी की दोनों पुत्रियां मोर बाई एवं कल्याण बाई के बयान एवं वसीयत में अंकित गवाहान के बयान लिये गये है। मृतका धन्नी के अन्य वारिसान द्वारा भी इस वसीयत को नकारा नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत होता है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2014 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकार को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक जांच कर नियमों में निहित प्रावधानुसार नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर,
बून्दी

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (सज०)